भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.ईसीआई/प्रेस नोट/93/2017 दिनांक: 13 दिसम्बर, 2017

प्रेस नोट

विषय: कुछ टीवी चैनलों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) का उल्लंघन करना।

आज निर्वाचन आयोग को कुछ रिपोर्टें एवं शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि गुजरात में कुछ टी.वी. चैनलों ने इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस के श्री राहुल गांधी द्वारा दिए गए इंटरव्यू को प्रदर्शित किया है, जिसमें श्री राहुल गांधी ने गुजरात की विधान सभा के निर्वाचनों, जो वर्तमान में संचालित किए जा रहे हें, के बारे में बात की है और जिनके लिए कल अर्थात् 14 दिसंबर, 2017 को दूसरे चरण का मतदान होना है। ऐसा प्रदर्शन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(3) के अधीन "निर्वाचन सम्बन्धी बात" की परिभाषा के अंतर्गत आता है और जिन क्षेत्रों में मतदान चल रहा हो वहां इसकी समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पहले इस प्रकार की निर्वाचन बात का प्रदर्शन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) का उल्लंघन माना जाता है।

अत: विधिवत विचार-विमर्श करने के बाद, आयोग ने गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को गुजरात के चरण 2 के उन जिलों में जहां कल, अर्थात् 14 दिसम्बर, 2017 को होने वाले मतदान में उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों का जिन व्यक्तियों ने उल्लंघन किया है, उनके विरूद्ध एफआईआर दायर करते हुए आवश्यक कारवाई आरंभ करने का निदेश दिया है।

इसके अतिरिक्त, जो टी.वी. चैनल गुजरात के चरण 2 के जिलों में उक्त निर्वाचन सम्बन्धी बात को प्रदर्शित करके धारा 126(1)(ख) के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, को इस तरह की बात के प्रदर्शन को तुरंत बंद करने के निदेश दिए गए हैं।

ह./-
(पवन दीवान)
अवर सचिव